

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजुलाल बनाम अरवराज

म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 250/2021

दोख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10 12  
21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती राजुलाल

पिता श्री यन्दुलाल रेबारी

निवासी- बल्ली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

पामका स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 564

2021  
434

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.3000 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम पामका स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 564

कुल कीता 1 रकबा 0.3000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500=00 रुपये अक्षरे पांच (5) हजार मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(प्रमोद सुन्दर विरनोदी)  
सहायक कमिश्नर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 250/2021/260

दिनांक 10/12/21

तहसीलदार

चित्तौड़गढ़ | बस्ती

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : राजुलाल पित्त चन्दूलाल शेखरी R10 बस्ती — जागी

- 1- अश्वराज 510 स्व. धन्नाजी शेखरी R10 पालका
  - 2- ले.प दीपक कुमार - पापल - जाण्की पित्त स्व.शिवग शेखरी R10 पालका
  - 5- सोनीया 410 स्व. शिवग शेखरी R10 पालका
  - 6- मोहन 56 चण्डु शेखरी R10 पालका
  - 7- मु. देऊकाई D10 चन्ना शेखरी R10 पालका
  - 8- केलनकाई बेवा स्व. चण्डा शेखरी R10 पालका
  - 9- नारायण मुत. स्व. मांगीलाल शेखरी R10 पालका
  - 10- मोहनी पित्त स्व. मांगीलाल शेखरी R10 पालका
  - 11- भैरूलाल पित्त बाघाजी शेखरी R10 पालका
  - 13ते15 फुजुलाल - नारायण - देवीलाल पित्त गिरधारी खरी R10 बस्ती
- विपरीत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम पालका खतौनी सं. 392  
सम्बत् 2066-2069 में अकित आराजी नम्बर 564  
..... कुल कित्ता 1 रकबा 0.3000 है. भूमि की  
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना  
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर  
शुल्क रूपये 500=00 अक्षरे पांच (5) हजार मात्र प्रार्थी  
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

राम सुन्दर विपरीत  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी